Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सुभाष चन्द्र बनाम सरकार

किस्म मुकदमा – प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी

प्रकरण संख्या 14/2025 जीसीएमएस प्र0स0– 2025/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
15.09.2025	वकील प्रार्थी हाजिर। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने दिनांक 08.9.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2/1 की दिनांक 18.3.25 को तथा अप्रार्थी संख्या 3 हसंराज की दिनांक 01.05.2024 को मृत्यु हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दोनों अप्रार्थीगण के वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायसंगत निर्णय हेतु हम अप्रार्थी संख्या 2/1 व अप्रार्थी संख्या 3 के वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाना उचित समझते है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.9.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 2/1 व 3 के वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाते हुए बतौर अप्रार्थी संयोजित किये जाने के आदेश दिये जाते है। चूंकि आगामी कार्यवाही मूल प्रार्थना पत्र संख्या 150/2014 सीगा 13 (ए) अनवान सुभाष चन्द्र बनाम सरकार व अन्य में की जानी है, अतः उक्त प्रकरण संख्या 150/2014 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 को अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली नये नम्बर पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 02.09.2024 से पूर्व की स्थिति से पुनः प्रारम्भ किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.9.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी मूल प्रार्थना पत्र में शामिल किया जावे। हस्तगत पत्रावली में शेष अप्रार्थीगण को भेजे गये नोटिस भी अदम तामील प्राप्त हुए है। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी के हित निहित है तथा अप्रार्थीगण की तलबी भी नही हुई है, अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। हस्तगत पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नही है अतः प्रकरण पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (दीनानाथ बब्बल) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner